रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265096
CG-DL-E-30072025-265096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947
No. 468]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 511(अ).— केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 25 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 703(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2024 के अधीन प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है:

उक्त अधिसूचना में ,- **(i)** पैरा (क) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध 25 तक प्रदूषण सूचकांक वाले सभी औद्योगिक क्षेत्र/ परियोजनाएं/ प्रक्रियाएं/क्रियाकलाप, इस शर्त के अधीन कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र/परियोजनाएं/प्रक्रियाएं/क्रियाकलाप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को लिखित रूप में सूचित करेंगी;";

(ii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय 2025-समय पर वर्गीकरण-के अनुसार वर्गीकृत श्वेत श्रेणी क्षेत्रों की सूची

1.	साइकिल, बच्चों गाड़ियां और अन्य छोटे गैर मोटर चालित वाहनों की असेंबली
2.	अपशिष्ट कागजों की बेलिंग (हाइड्रोलिक प्रेस)
3.	अकार्बनिक रसायनों का उपयोग किए बिना जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक
4.	ढलाई के बिना मुद्रण हेतु ब्लॉक बनाना (लकड़ी के ब्लॉक बनाने को छोड़कर)
5.	सुगंधित सुपारी उत्पादन/पीसना (पूर्णतः शुष्क यांत्रिक प्रचालन)
6.	जूता ब्रश और वायर ब्रश का विनिर्माण
7.	कॉयर फाइबर अथवा पिथ प्रसंस्करण और/या कॉयर से कॉयर उत्पादों का विनिर्माण (केवल शुष्क प्रक्रिया)
8.	एयर कूलर/ कंडीशनरों की असेंबली, मरम्मत और सर्विसिंग
9.	कार्ड बोर्ड या नालीदार बॉक्स और कागज उत्पाद (कागज या लुगदी विनिर्माण को छोड़कर और बॉयलर का उपयोग किए बिना)
10.	प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाक बनाना (केवल कास्टिंग, बॉयलर आदि के बिना (सूर्य में सुखाना/विद्युत ओवन)
11.	भौतिक मिश्रण द्वारा 1000 मीट्रिक टन प्रति माह क्षमता तक कंक्रीट मिश्रण का एकल विनिर्माण (बॉयलर और रिएक्टर के बिना और अपशिष्ट जल का उत्पादन नहीं)
12.	प्रयुक्त खाना पकाने के तेल (यूसीओ) संग्रहण केंद्र
13.	साबुन विनिर्माण (हस्तनिर्मित - भाप उबालने/बॉयलर के बिना)
14.	डीजल पंप की मरम्मत और सर्विसिंग (पूर्ण यांत्रिक शुष्क प्रक्रिया)
15.	केवल संयोजन द्वारा विद्युत लैंप (बल्ब) और सीएफएल का विनिर्माण
16.	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान संयोजन (पूर्णतः शुष्क प्रक्रिया)
17.	इंजीनियरिंग और विनिर्माण इकाइयाँ बिना किसी ऊष्मा उपचार/धातु सतह परिष्करण कार्य/चित्रकला के शुष्क प्रक्रिया)
18.	स्प्रे पेंटिंग के बिना बढ़ईगीरी और लकड़ी के फर्नीचर का विनिर्माण (आरा मिल को छोड़कर) विद्युत (मोटर चालित) मशीनों जैसे कि इलेक्ट्रिकल वुड प्लानर, स्टील आरी कटिंग सर्कुलर ब्लेड आदि की मदद से।
19.	स्प्रे पेंटिंग के बिना स्टील फर्नीचर
20.	फीडस्टॉक पर आधारित संपीड़ित जैव गैस संयंत्र - नगर निगम का ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष, ऊर्जा फसलें, घास/खरपतवार, पशु अपशिष्ट, प्रेस मड, आदि (औद्योगिक/प्रक्रिया अपशिष्ट के अलावा समान प्रकार के फीडस्टॉक), कोई अपशिष्ट जल नहीं छोड़ते और उप-उत्पाद उत्पन्न करते हैं - (i) किण्वित जैविक खाद (एफओएम) और /या तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) समृद्ध खाद और/या (ii) बिजली का उपयोग करके ब्रिकेट/पेलेट। *
21.	अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग के परिसर में स्थित बिल्ड आन आपरेट / बिल्ड आन आपरेट ट्रान्सफर /बिल्ड आपरेट ट्रान्सफर मोड आदि पर इलेक्ट्रोलिसिस (नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके) के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन और अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग से प्राप्त डी-मिनरलाइज्ड पानी और अन्य उपयोगिताओं (कूलिंग टॉवर, ईटीपी, आदि) का सीधे उपयोग करना

22.	कच्चे द्रव ऑक्सीजन से संपीड़ित ऑक्सीजन गैस (किसी भी विलायक के उपयोग के बिना और केवल अन्य गैसों को अलग करने के लिए दबाव और तापमान बनाए रखते हुए)
23.	कांच की नलियों से कांच और ऐम्प्यूल्स और शीशियाँ बनाना
24.	मूंगफली छीलने की प्रक्रिया
25.	मेडिकल ऑक्सीजन
26.	हथकरघा/कालीन बुनाई (रंगाई और विरंजन कार्य के बिना)
27.	वैज्ञानिक और गणितीय विनिर्माण
28.	जूट से उत्पादों का विनिर्माण (बिना रंगाई/बिना बॉयलर के)
29.	चमड़े के फुटवियर और चमड़े के उत्पाद (टैनिंग और चमड़ा प्रसंस्करण को छोड़कर)
30.	चमड़े की कटाई और सिलाई (10 से अधिक मशीन और मोटर का उपयोग करके)
31.	जैविक खाद (भौतिक मिश्रण)
32.	पाउडर दूध की पैकिंग
33.	कोल्ड रोलिंग मिल (बिना ताप उपचार के)
34.	तार खींचना और तार जाल लगाना (बिना अचार और बिना गर्मी उपचार के)
35.	धातु के ढक्कन, कंटेनर आदि का विनिर्माण
36.	भौतिक मिश्रण द्वारा जैविक और अकार्बनिक पोषक तत्व (बॉयलर के बिना और किसी रिएक्टर के बिना)
37.	रोल्ड पीवीसी शीट से बिस्कुट ट्रे आदि (स्वचालित वैक्यूम फॉर्मिंग मशीनों का उपयोग करके)
38.	केवल संयोजन द्वारा फाउंटेन पेन का विनिर्माण
39.	ग्लास पुट्टी और सीलेंट (केवल मशीन से मिश्रण करके)
40.	पेपर पिन, यू-क्लिप आदि का विनिर्माण।
41.	सौर फोटोवोल्टिक सेल और पवन ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन
42.	विद्युत मोटरों और जनरेटरों की मरम्मत (शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया)
43.	प्लास्टिक या कपास की रस्सी का निर्माण
44.	टायर रिट्रेडिंग
45.	संग्रहण केन्द्र (विसंदूषण, विघटन और कतरन के बिना)
46.	केवल शल्य चिकित्सा एवं चिकित्सा उत्पाद (अपशिष्ट-उत्पादन प्रक्रिया के बिना)
47.	सौर मॉड्यूल या गैर-परंपरागत ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण
48.	डिजिटल थर्मामीटर निर्माण
49.	चाय का सम्मिश्रण और पैकिंग
50.	परिधान और परिधान विनिर्माण उद्योग जिसमें डबलिंग/रीलिंग/टीएफओ-एक इकाई के लिए दो (शुष्क प्रक्रिया) शामिल हैं - बॉयलर के बिना
51.	कपास और ऊनी होज़ियर बनाना (केवल सूखी प्रक्रिया, बिना किसी रंगाई/धुलाई प्रक्रिया के)
52.	रेलवे साइडिंग केवल रक्षा उद्देश्य के लिए

53.	बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों पर आधारित घरेलू बायो-डाइजेस्टर/ गोबर -गैस (गाय-गोबर) संयंत्र आदि।
54.	मिनी हाइडल विद्युत संयंत्र (क्षमता -25 एमवी)

टिप्पण :- क्रम संख्या 1 से 54 तक की प्रविष्टियाँ (क्रम संख्या 20 अपेक्षित) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तारीख 12 फरवरी, 2025 के निर्देशों के अनुसार वर्गीकृत की गई हैं।

* केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तारीख 25 मार्च, 2025 के निर्देशानुसार वर्गीकृत ।

[फा सं. क्यू-15012/2/2022-सीपीडब्ल्यू/ई-240741]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2025

G.S.R. 511(E)— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 703 (E), dated 12th November, 2024:

In the said notification,- **(i)** for paragraph (a), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(a) all industrial sectors or projects or processes or activities having pollution index score upto 25 as listed in the Schedule to this notification, subject to condition that such industrial sectors or projects or processes or activities shall inform in writing to the State Pollution Control Boards or the Pollution Control Committees;";

(ii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

List Of White Category Sectors Classified By The Central Pollution Control Board, From Time To Time, As Per Classification-2025

1.	Assembly of Bicycles, Baby carriages and other small non motorizing vehicles
2.	Bailing (hydraulic press) of waste papers
3.	Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
4.	Block making of printing without foundry (excluding wooden block making)
5.	Flavoured Batel nuts production/grinding (completely dry mechanical operations)
6.	Manufacturing of shoe Brush and Wire Brush
7.	Coir fibre or pith processing and/or Manufacturing of coir products from coir (only dry process)
8.	Assembly of air coolers or conditioners, repairing and servicing

9.	Cardboard or corrugated box and paper products (excluding paper or pulp manufacturing and without using boilers)
10.	Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying or electrical oven)
11.	Standalone manufacturing of Concrete admixtures up to 1000 MT per Month capacity by physical mixing (without boiler and reactor and no generation of wastewater)
12.	Used cooking oil collection centers
13.	Soap manufacturing (handmade-without steam boiling or boiler)
14.	Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)
15.	Electric lamp (bulb) and Compact Fluorescent Lamp (CFL) manufacturing by assembling only
16.	Electrical and electronic item assembling (completely dry process)
17.	Engineering and fabrication units dry process without any heat treatment/metal surface finishing operations or painting)
18.	Carpentry and wooden furniture manufacturing without spray painting (excluding saw mill with the help of electrical (motorized) machines such as electrical wood planner, steel saw cutting circular blade, etc.
19.	Steel furniture without spray painting
20.	Compressed Bio Gas plants based on feedstock-Municipal Solid Waste, agro-residue, energy crops grass/ weeds, animal waste, press mud, etc. (as similar type feedstock apart from industrial/ process waste), not discharging any waste water and producing by-products- (i) Fermented Organic Manure and/or Liquid Fermented Organic Manure, enriched manure and/or (ii) Briquette or pellet using electricity. *
21.	Hydrogen production through electrolysis(using renewable energy) on Build-Own-Operate/Build-Own-Operate-Transfer/Build-Operate-Transfer etc., located in the premises of end user industry and directly using de-mineralized water & other utilities (cooling tower, ETP, etc.) sourced from end user industry
22.	Compressed oxygen Gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure and temperature only for separation of other Gases)
23.	Glass and ampules and vials making from Glass tubes
24.	Ground nut decorticating
25.	Medical Oxygen
26.	Handloom/carpet weaving (without dying and bleaching operation)
27.	Manufacturing of scientific and mathematical
28.	Manufacturing of products from jute (without dyeing or without boiler)
29.	Leather foot wear and Leather products (excluding tanning and hide processing)
30.	Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
31.	Organic Manure (physical mixing)
32.	Packing of powdered Milk
33.	Cold rolling mill (without heat treatment)
34.	Wire drawing and wire netting (without pickling and without heat treatment)
35.	Manufacturing of Metal caps containers etc

36.	Organic and inorganic Nutrients by physical mixing (without boiler and without any reactor)
37.	Biscuits trays etc. from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
38.	Fountain Pen manufacturing by assembling only
39.	Glass Putty and sealant (by mixing with machine only)
40.	Manufacturing of Paper Pins, U-clips, etc.
41.	Solar Power generation through solar photovoltaic cell and wind power
42.	Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
43.	Manufacturing of plastic or cotton Rope
44.	Tyre retreaders
45.	Collection Centres (Without depollution, dismantling and shredding)
46.	Surgical and medical products assembled only (without effluent-generating process)
47.	Manufacturing of Solar module or non-conventional energy apparatus
48.	Digital thermometer manufacturing
49.	Blending and packing of tea
50.	Garment and apparel manufacturing industry including Doubling or Reeling or TFO-Two for one unit (dry process)- without boiler
51.	Cotton and woollen Hosiers making (Dry process only without any dying/washing operation)
52.	Railway sidings only for defence purpose
53.	Household bio-digesters/gobar-gas (cow-dung) plants based on biodegradable wastes, etc.
54.	Mini Hydel power plants (Capacity -25 MV)

Note:- Entries from SI. Nos. 1 to 54 (Expect SI. No. 20) classified *vide* the Central Pollution Control Board directions dated the 12th February, 2025.

*Classified *vide* Central Pollution Control Board direction dated the 25th March, 2025.".

[F. No. Q-15012/2/2022-CPW/e-240741]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.30 15:26:27 +05'30'